"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2016—आषाढ़ 24, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक ई 1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) प्रबंध संचालक सह अध्यक्ष छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) द्वारा प्रमुख सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री के. आर. पिस्दा, भा.प्र.से. (1996), सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग (पेंशन निराकरण समिति के कार्य हेतु) को केवल सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग के प्रभार से मुक्त करता है तथा शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

2. श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) संयुक्त सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड को प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) द्वारा प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जून 2016

क्रमांक एफ 1-21/तीन-जेल/2014.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 59 की उप-धारा (8) सहपठित छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में उप-जेल स्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 जून 2016

क्रमांक एफ 1-21/तीन-जेल/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/तीन-जेल/2014, दिनांक 09-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 9th June 2016

No. F 1-21/Three-Jail/2014.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (8) of the Section 59 of the Prison Act, 1894 (No. IX of 1894), read with rule 6 of the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, the State Government, hereby, establishes a Subsidiary Jail at Khairagarh in District Rajnandgaon.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR RANJAN, Joint Secretary.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2016

क्रमांक एफ 6-4/2016/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. त्रिवेदी, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (ग्रेड वेतन 8700) को अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (ग्रेड वेतन 8900) के एकल पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37400-67000+ग्रेड वेतन रुपये 8900 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर मुख्यालय, रायपुर में अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक 1090A/371/2016/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित सुधार कार्य योजना अंतर्गत निम्न, मध्यम तथा उच्च श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनाओं में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निरीक्षण हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक 1090/371/2016/16 दिनांक 6-6-2016 में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 3, निम्न जोखिम वर्ग में उल्लेखित निरीक्षण "प्रत्येक वर्ष रेण्डम पद्धति से 05 प्रतिशत" के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये—

"इस श्रेणी के कारखानों/संस्थानों में जिनका श्रम कानूनों के पालन का रिकार्ड अच्छा है उन्हें निरीक्षण से पूर्णत: मुक्त रखा जाता है, ऐसे कारखाने/संस्थान स्व-प्रमाणीकरण द्वारा श्रम कानूनों का पालन कर सकते हैं."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

1. **जिला सूरजपुर —** (1) खोंगापानी-झगराखण्ड-नईलेदरी निवेश क्षेत्र.
   (2) प्रेमनगर निवेश क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्रमांक 07 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	कुकुरदी प.ह.नं. 16	3.580	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.).	बलौदाबाजार बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक 25/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
71/1	0.10
143/11	0.05
184/6	0.30

	(1)	(2)
	275/3	0.35
	277/1	0.20
	279	0.20
योग	6	1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभांठा जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक 29/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-माखनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.41 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	163/1	1.04
	163/2	0.32
	163/3	0.05
योग	3	1.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभांठा जलाशय योजना के अंतर्गत स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक 30/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-माखनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.79 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
94/1	0.32
94/2	0.05
94/3	0.13
95/1	0.20
100/1	0.05
101	0.29
102	0.44
104/2	0.12
105/2	0.25
211	0.09
113/3, 114/2	0.05
115/1	0.05
115/6	0.15
117/1	0.40
113/1	0.10
118/1	0.20
118/2	0.55
118/3	0.60
136/3, 137/2, 148/1	0.30
136/2, 148/2	0.30
176/1	0.12
176/2	0.06
177/2क	0.05
177/2ख	1.00
178/1	0.20
189/4	0.20
196/1, 469/1	0.10
196/2, 469/2	0.25

	(1)	(2)
	200/1	0.20
	200/2	0.20
	201	0.25
	199	0.10
	205	0.10
	466	0.05
	468/2	0.03
	485/2	0.14
	197/1	0.07
	198	0.03
योग	44	7.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धौराभांठा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक 31/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-नगोई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.03 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	27	0.20
	28/2	0.10
	31/1	0.49
	32	0.04
	33	0.85
	39/3	0.29
	39/4	0.06
	40	0.20
	43	0.34
	45	0.16
	46	0.04
	48/1	0.08
	64	0.03
	67	0.15
योग	14	3.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगोई (लाफा) व्यपवर्तन के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 16 जून 2016

क्रमांक 32/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-नगोई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
76	0.67
77	0.28
78/1	0.11
78/2	0.02

(1)	(2)
79	0.02
82	0.26
84/1	0.23
84/2	0.23
85	0.12
86	0.16
88/1	0.04
88/2	0.26
90	0.02
183	0.37
184/1	0.13
184/2	0.10
185	0.75
186	0.59
189/6	0.26
189/7	0.02
190	0.02
191	0.19
214/1	0.63
218	0.46
219	0.03
220/1	0.13
योग 26	6.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नगोई (लाफा) व्यपवर्तन के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2016

क्रमांक एफ 03-02/2007/एक/822.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 06 जून 2016 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति की अनुशंसा के आधार पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अधीन उपयुक्त पाये गये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के श्री प्रणय कुमार वर्मा, सहायक ग्रेड-1 को अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु. 9300-34800+ग्रेड पे 4800 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से पदोन्नत किया जाता है.

2. पदोन्नति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा.

3. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर देना होगा इस प्रकार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा. विकल्प प्राप्त नहीं होने पर वेतन निर्धारण नियमों के अंतर्गत कर दिया जावेगा.

4. प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है.

ओंकार सिंह,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th June 2016

No. 375/Confdl./2016/II-1-2/2014.—Hon,ble Shri Justice Inder Singh Uboweja, Judge, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur has relinquished the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 31-05-2016 in the afternoon on the eve of his Lordship attaining the age of 62 years.

Bilaspur, the 16th June 2016

No. 387/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below and who are posted at the place shown in Column No. (3) are hereby posted in the capacity as mentioned in Column No. (4) from the date they assume charge their office (s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	to (3)	Posted as (4)
1.	Shri Ganesh Ram Burman, IV Additional District & Sessions Judge.	Raipur	VII Additional District & Sessions Judge
2.	Smt. Shraddha Shukla Sharma, VII Additional District & Sessions Judge.	Raipur	IV Additional District & Sessions Judge

Bilaspur, the 16th June 2016

No. 389/Confdl./2016/II-2-1/2016.—(A) Shri Balram Prasad Verma, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Janjgir-Champa is assigned the additional charge of the Special Court under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Janjgir-Champa until further orders.

(B) Smt. Leena Agrawal, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Jashpur is assigned the additional charge of the Special Court under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, Jashpur until further orders.

Bilaspur, the 16th June 2016

No. 391/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are, hereby, given additional charge of the Fast Track Court as mentioned in Column No. (3) until further orders :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	Additional Charge (3)
1.	Shri Dileshwar Singh Rathiya, I Additional District & Sessions Judge, Balod.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Balod.

(1)	(2)	(3)
2.	Shri Ramjivan Dewangan, II Additional District & Sessions Judge, Baloda-Bazar.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Baloda-Bazar.
3.	Shri Chhameshwar Lal Patel, Additional District & Sessions Judge, Bemetara.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Bemetara.
4.	Shri Santosh Kumar Aditya, I Additional District & Sessions Judge, Surajpur.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Surajpur.
5.	Shri Jaideep Garg, Additional District & Sessions Judge, Kondagaon.	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.), Kondagaon.

Bilaspur, the 28th June 2016

No. 5035/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Yashoda Kashyap, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
2.	Ku. Sarojani Parmar, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
3.	Shri Vijendra Sonwani, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
4.	Ku. Pratibha Markam, J.M.F.C., Raipur	Raipur	Raipur
5.	Shri Umesh Kumar Upadhyay, J.M.F.C., Rajim	Rajim	Raipur
6.	Shri Deepak Kumar Koshley, J.M.F.C., Gharghora	Gharghora	Raigarh

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 48/L.G./2016/II-2-14/2015.—Shri Sudhir Kumar, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 05 days from 16-05-2016 to 20-05-2016 along with permission to leave headquarters from 15-05-2016 to 05-06-2016 (along with summer vacation).

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 101 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 49/L.G./2016/II-2-07/2009.—Shri Mahadev Katulkar, Judge, Family Court, Dhamtari is hereby, granted earned leave for 04 days from 12-05-2016 to 15-05-2016 along with permission to leave headquarters from 12-05-2016 till before the Court hours of 23-05-2016 (along with summer vacation).

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katulkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 282 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 50/L.G./2016/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 07 days from 30-05-2016 to 05-06-2016 along with permission to leave headquarters from 29-05-2016 till the morning of 13-06-2016 (along with summer vacation).

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 166 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 51/L.G./2016/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 03 days from 09-05-2016 to 11-05-2016 along with permission to leave headquarters from the evening of 08-05-2016 till the evening of 11-05-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 278 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 52/L.G./2016/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 05 days from 13-06-2016 to 17-06-2016 along with permission to leave headquarters from 11-06-2016 to 19-06-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 271 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 53/L.G./2016/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, the then Judge, Family Court, Manendragarh, District-Koriya is hereby, granted earned leave for 09 days from 14-03-2016 to 22-03-2016 along with permission to leave headquarters from 14-03-2016 to 25-03-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 278 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 54/L.G./2016/II-03-38/2007.—Shri Ram Kumar Tiwari, District & Sessions Judge, Bemetara is hereby, granted earned leave for 05 days from 13-06-2016 to 17-06-2016 along with permission to leave headquarters from 11-06-2016 to 19-06-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 260 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 27th June 2016

No. 55/L.G./2016/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, the then Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 24 days from 18-04-2016 to 11-05-2016.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 393 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
OMPRAKASH SINGH CHOUHAN, Additional Registrar (ADMN.).